

(TO BE PUBLISHED IN PART-V SI
GOVERNMENT OF NAT
(DEVEL
DIRECTORATE C _
49, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

OF DELHI GAZETTE ORDINARY)
IAL TERRITORY OF DELHI
PARTMENT)
TURAL MARKETING

Dated: 02/01/2018

NOTIFICATION

No. F. 8(37)/2016/DAM/MR/07 In exercise of the powers conferred by section 43 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999) and consequent upon the election of Chairman of the Agricultural Produce Marketing Committee, Keshopur, Delhi during the first meeting of the aforesaid Marketing Committee held on 29.12.2017, I, Sakshi Mittal, Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi hereby notify the name of the following as Chairman of the aforesaid Marketing Committee: -

Sh. Radhe Shyam : Chairman
S/o Late Sh. Budh Prakash Sharma
E- 24 & 25, Vikas Nagar,
Delhi- 110059.

The term of the office of the Chairman of the aforesaid Marketing Committee shall be as per the provisions under section 44 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998.

BY ORDER,


(SAKSHI MITTAL)

DIRECTOR, AGRICULTURAL MARKETING
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8(37)/2016/DAM/MR/08-22

Dated: 02/01/2018

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 9 The Chairman, Vice Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Part-V Sections – II of Delhi Gazette Ordinary and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Chairman/Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruits & Vegetable Market), Gazipur, Delhi, Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
- 13 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 14 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 15 Guard file.



(SAKSHI MITTAL)
DIRECTOR, AGRICULTURAL MARKETING
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली साधारण गजट के भाग-5 खण्ड-11 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 02/01/2018

अधिसूचना

सं एफ 8(37)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/07 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 43 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति, केशोपुर, दिल्ली की पहली बैठक दिनांक 29.12.2017 में अध्यक्ष के चुनाव के उपरान्त, मैं, साक्षी मित्तल, निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निम्नलिखित को उपरोक्त विपणन समिति का अध्यक्ष अधिसूचित करती हूँ:-

श्री राधे श्याम, : अध्यक्ष
सु0 स्व0 श्री बुध प्रकाश शर्मा
ई-24 एंव 25, विकास नगर,
दिल्ली-110059.

उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार होगा।

आदेश पर,

साक्षी

(साक्षी मित्तल)
निदेशक, कृषि विपणन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं एफ 8(37)/2016/डी0ए0एम0/एम0आर0/08-22

दिनांक: 02/01/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि-विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि दिल्ली साधारण गजट के भाग-5 खण्ड-11 में प्रकाशित किए जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम् पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 14 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 15 गार्ड फाईल।

साक्षी

(साक्षी मित्तल)
निदेशक, कृषि विपणन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार